उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग-1
संख्या :4021/छः-पु-1-08-115/2008
लखनऊ : दिनांक : 02दिसम्बर, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा-(2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के नागरिक पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008

भाग-1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली कही जायेगी।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह " ग " के पद समाविष्ट हैं।
परिभाषाएं	3.	जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ; (ख) " नियुक्ति प्राधिकारी " का तात्पर्य नागरिक पुलिस में आरक्षी के पद के लिए पुलिस अधीक्षक से है और अन्य पदों के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक से है ; (ग) " बोर्ड " का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय

उ०प्र०स०-1

समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है ;

(घ) " भारत का नागरिक " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(ड.) " संविधान " का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(च) " सरकार " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) " राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं ;

(ज) " विभागाध्यक्ष " का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से है ;

(झ) " सेवा का सदस्य " का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ञ) " नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों " का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ट) " पुलिस मुख्यालय " का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है ;

(ठ) " सेवा " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है ;

(ड.) " चयन समिति " का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है ;

(ढ) " भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;